

aman

संख्या-1881 /2023/9-8-2023 /004-1659291

प्रेषक,

अजय कुमार पाण्डेय,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ : दिनांक 26 दिसंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत नगर पंचायतों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य नगर पंचायतों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा विभिन्न नगर पंचायतों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर संबंधित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उनके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पूर्व में धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष 04 नागर निकायों द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य जारी किये गये शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 नागर निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यो हेतु (कुल धनराशि रू. 710.00 लाख (रू० सात करोड़ दस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख में)	द्वितीय किश्त की देय धनराशि (लाख में)
1	नगर पंचायत हरैया जनपद बस्ती	1704/नौ-8-21-02डी०पी०आर०(बजट)/2020 दिनांक 27 अगस्त, 2021	200.00	100.00	100.00
2	नगर पंचायत	648/9-8-2020-06डीडीयू	300.00	150.00	150.00

456207/2023

	जंगीपुर जनपद गाजीपुर	(बजट)/2019 दिनांक 13 मार्च, 2020			
3	नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर	549/9-8-22-16डीडीयू (बजट)/2021 दिनांक 29 मार्च, 2022	400.00	40.00	360.00
4	नगर पंचायत कादीपुर, जनपद- सुलतानपुर	726/नौ-8-19- 04डीडीयू(बजट)/ 19, दिनांक 08 नवम्बर, 2023	200.00	100.00	100.00
<b>कुल योग:-</b>			<b>1100.00</b>	<b>390.00</b>	<b>710.00</b>

(रूपये सात करोड़ दस लाख मात्र)

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि संबंधित नगर निकायों के द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे 07 दिन के अन्दर ई-पेमेण्ट के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

(2) निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि का 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिये धनराशि पुनः कोषागार में दी जाय।

(3) संबंधित नागर निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31-3-2024 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ सहित निदेशक, स्थानीय निकाय एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ ही शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) संबंधित नागर निकायों को पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति से संबंधित स्तम्भ 3 में उल्लिखित शासनादेश की शर्तें यथावत रहेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 7,10,00,000 ( रूपये सात करोड़ दस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217031930500 पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

Digitally Signed by अजय  
(अजय कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन  
Date: 26-12-2023 16:23:16  
Reason: Approved

I/456207/2023

संख्या-1801/2023/9-8-2023/004-1659291, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, संबंधित निकाय ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।